राजस्व वाद संख्या (64/2013)
फैलीराम बनाम कमला

13.11.2017

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी श्री दिनेश शर्मा उपस्थित। वकील वादी को आदेशिका दिनांक 16.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुऐ शेष प्रतिवादीगणों की तलवी हेतु रजिस्टर्ड एडी तलबाना नोटिस पेश करने के आदेश दिये गये थे। इसके पश्चात् दिनांक 03.12.2015 से आदिनांक तक कुल 13 तारीख पेशीया बिंना नोटिस के अनावश्यक रूप में तारीख पेशी बदली जा रही है। वकील वादी द्वारा आदेश की पालना में आज भी रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश नहीं किये है। ऐसा प्रतीत होता है कि वकील वादी प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं रखते है। वकील वादी द्वारा न्यायालय के आदेशो की अवहेलना किये जाने के कारण यह प्रकरण आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर में कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
... जिला जयपुर